बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या 2950566
ग्रा0 वि0 07(नि0)- 01/2021

दिनांक 01/07/2024

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा-7 की उप-धारा(1) के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर कार्य प्राप्त नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान और धारा-7 की उप-धारा (1) सह-पठित धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ ।-

(i) यह नियमावली महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत "बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024" कही जा सकेगी ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

2. परिभाषाएें ।-

(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005;

(ii) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है "जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक / उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक;

(iii) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी;

(iv) "अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त;

(v) "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिले का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा);

(vi) "कार्यक्रम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी;

(vii) "MIS" से अभिप्रेत है nrega.nic.in पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित Management Information System तथा इसमें संधारित सभी सूचनाएँ;

(viii) "बेरोजगारी भत्ता" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में दिया जाने वाला भत्ता ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश में या मास्टर सर्कुलर में परिभाषित किए गये हों ।

3. बेरोजगारी भत्ते की पात्रता ।-

यदि अधिनियम की धारा 4(1) अधीन अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामलों में विनिर्दिष्ट की गयी रोजगार मांगने की तिथि से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, दोनों में जो पश्चातवर्त्ती हो, तो वह इस नियमावली के नियम- 5 के उपनियम (i) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से तथा नियम- 6 के उपनियम (vii) के अधीन नियत सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा ।

4. बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन ।-

(i) MIS पर प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना को इस नियमावली के अधीन कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त सूचना एवं आवेदन माना जायेगा ।

(ii) MIS पर उपलब्ध सूचना के अलावे बेरोजगारी भत्ता का दावा करने वाला प्रत्येक आवेदक रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना आवेदन दे सकेगा ।

(iii) यदि परिवार का मुखिया या परिवार का कोई वयस्क सदस्य बेरोज़गारी भत्ता के लिए लिखित रूप से आवेदन देने में असमर्थ हो तो वह कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से भी अपनी बातें रख सकता है, जिसे अभिलिखित कर उसका हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान प्राप्त किया जायेगा ।

(iv) ऐसे अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता के लिए पृथक अवधि हेतु पृथक आवेदन देना होगा ।

(v) रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।

(vi) कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण / साक्ष्य, अर्थात जब आवेदक ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर कार्य पर उपस्थित हुआ था तब कार्य स्थल प्रभारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जायेगा ।

(vii) आवेदक को रोजगार मांगने के आवेदन के प्राप्ति की हस्ताक्षरयुक्त एवं तिथियुक्त पावती मुखिया / ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), कार्यक्रम पदाधिकारी अथवा पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची ii के बिन्दु 10 के अनुसार देय होगा अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में दोषी पर अधिनियम के धारा 25 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी ।

5. बेरोजगारी भत्ते की दर ।-

(i) महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान देय तिथि से उक्त वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम 30 दिनों के लिये मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर की एक चौथाई की दर से तथा 30 दिनों के पश्चात् (वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिये) अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर का आधा दर पर देय होगा । बेरोजगारी भत्ता की देयता मात्र उतने दिनों के लिये हीं होगी जितने दिनों के लिये काम मांगा गया है और आवेदक परिवार के किसी भी सदस्य को काम उपलब्ध करा देने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता की देयता समाप्त हो जायेगी । बेरोजगारी भत्ता की गणना, मांगे गये काम के दिनों की संख्या की सीमा के भीतर, उतने दिनों के लिये हीं की जायेगी जितने दिनों तक काम उपलब्ध नहीं कराया गया हो ।

(ii) बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा- एक परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगा जिसके लिये अधिनियम के अधीन रोजगार की गारंटी दी गयी है ।

(iii) अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता की दर में संशोधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा एतद् दर के अनुरूप ही बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

6. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति की प्रक्रिया ।-

(i) संबंधित जॉबकार्डधारी परिवार को MIS प्रणाली द्वारा गणना कर प्रदर्शित बेरोजगारी भत्ता देय होगा । कार्यक्रम पदाधिकारी ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें ।

(ii) बेरोजगारी भत्ते के अन्य मामले यथा नियम 4 (ii) के प्रावधान के अधीन प्राप्त आवेदन पर भी निर्णय कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा ससमय निर्णय लिया जायेगा ।

(iii) MIS Data Entry PO login के D24 Delay Compensation Module के Unemployment Allowance में MIS प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना प्रदर्शित होने / आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में निर्णय कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा तथा आदेश / निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा । 15 दिनों के अन्दर बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा की MIS प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता सही है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इसके भुगतान की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाएगी ।

(iv) बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रत्येक मामले में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा । इसे सुनिश्चित करना संबंधित पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा ।

(v) अस्वीकृत आवेदनों को प्रखण्ड / ग्राम पंचायत के सूचना पट पर कारण सहित प्रदर्शित किया जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा की संबंधित आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से पत्र के द्वारा उसके आवेदन की कारण सहित अस्वीकृति की सूचना प्रेषित की जाएगी ।

(vi) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह अधिनियम अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है और कार्यक्रम पदाधिकारी MIS द्वारा इसका भुगतान सुनिश्चित करेंगे ।

(vii) कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाना है । यदि इसमें कोई विलंब होता है तो आवेदक "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार- विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017" के प्रावधानों के अनुरूप 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा ।

7. बेरोजगारी भत्ता भुगतान का मद ।-

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान समुचित जाँचोपरांत प्रथमतः बिहार रोजगार गारंटी निधि (State Employment Guarantee Fund or SEGF in Short) में राज्यांश मद की उपलब्ध राशि से किया जायेगा, तत्पश्चात इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी पदाधिकारी / पदाधिकारियों या अभिकरण / अभिकरणों से 30

दिनों में वसूली करते हुए कर ली जायेगी । उत्तरदायी पदाधिकारियों / कर्मियों से वसूली एवं इससे संबंधित पंजी का संधारण करने की जवाबदेही कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी । वसूली की गयी राशि बिहार रोजगार गारंटी निधि (SEGF) के खाते में जमा की जाएगी । बेरोजगारी भत्ता भुगतान होने के प्रत्येक दृष्टांत और उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने की समीक्षा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा करायी जायेगी ।

8. निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा ।-

(i) (क) यदि आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य, उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है; अथवा

(ख) कार्य पर उपस्थिति के लिए, कार्यक्रम पदाधिकारी / ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विहित रीति से आवेदक को ससमय सूचना जारी कर दी जाती है तथा आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य सूचित किए जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य स्थल पर उपस्थित होने में विफल रहता है; अथवा

(ग) यदि आवेदक या उसके परिवार, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना एक सप्ताह से अधिक के लिए कार्य में लगातार अनुपस्थित रहता है अथवा किसी माह में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है;

तो उपर्युक्त तीनों परिस्थियों (क, ख, एवं ग) में आवेदक, तीन माह के लिए बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, यधपि, इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है ।

(ii) उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई व्यस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है ।

(iii) वह अवधि, जिसके लिए रोजगार चाहा गया हो, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद नहीं आता है ।

(iv) यदि आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है ।

(v) यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है ।

(vi) व्यक्ति सामान्यतः कार्य के लिए कम-से-कम 14 दिनों की लगातार अवधि हेतु उपलब्ध होगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई कार्य स्वच्छता-सुविधाओं से संबंधित (Sanitation facility related) है तो कार्य के लिए आवेदन कम-से-कम छः (06) दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए । यदि वह इतना समय देने में असमर्थ है तो वह बेरोज़गारी भत्ता पाने का पात्र नहीं होगा ।

(vii) यदि रोजगार की मांग पर चालू कार्यों में रोजगार देना तकनीकी मापदंडों के आधार पर संभव नहीं हो तथा नया काम चालू करने के लिए कम-से-कम 10 श्रमिक उपलब्ध नहीं हो (यह वृक्षारोपण Afforestation कार्य के लिये लागू नहीं होगा) तो ऐसी परिस्थिति में भी बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा ।

9. बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी ।-

(i) बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर, अपील कर सकेगा ।

(ii) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध अपील, आवेदक द्वारा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त के समक्ष की जायेगी ।

(iii) अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष की जायेगी ।

(iv) अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 60 (साठ) दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गयी कार्रवाई के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

10. बेरोजगारी भत्ता पर कृत कार्रवाई पर अनुश्रवण ।-

(i) बेरोजगारी भत्ता के भुगतान और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर से किया जाएगा । इसकी चर्चा रोजगार दिवस में भी की जाएगी ।

(ii) जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी बेरोजगारी भत्ते के दावे और एतद् नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध प्रतिवेदन के संबंध में कृत कार्रवाई पर मासिक बैठक आयोजित करेंगे एवं नियमावली के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे ।

(iii) कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों एवं कृत कार्रवाई के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक को विस्तृत मासिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा तथा नरेगासॉफ्ट पर सभी आवश्यक सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी ।

(iv) कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा PO Login Compensation Module अन्तर्गत Unemployment Allowance module तथा पंचायत रोजगार सेवक द्वारा MIS में दर्ज मांग के विरुद्ध आवंटित कार्य एवं बेरोजगारी भत्ता संबंधी Alert पर निरंतर नजर राखी जाएगी तथा प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में अग्रेतर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

11. विनियम बनाने की शक्ति ।-

राज्य सरकार इस नियमावली के सभी अथवा किन्हीं प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी ।

12. शंकाओं का निराकरण ।-

यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो उस मामले को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

28/06/24

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0डी0एस0 कार्यालय, विस्कोमान भवन, गांधी मैदान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2950566 पटना/ दिनांक 01/07/2024
ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

28/06/24
सरकार के सचिव

(

Government of Bihar
Rural Development Department
Notification

No. 295566........ Date.....01/07/2024.....
ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Hereafter the Act) read together with sub section (1) of section 32 of the same Act, the state government hereby makes the following rules:–

Bihar Unemployment Allowance Rules, 2024 Under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

1. **Short Name, Extent and Commencement -**
   This set of rules may be called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Bihar – "Unemployment Allowance Rules, 2024".
   It will cover the entire state of Bihar.
   The rules will come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions-**
   (1) In the rules, unless the context requires otherwise –
   (i) "The Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
   (ii) "Appellate Authority" means "District Magistrate -cum- District Programme Coordinator / Deputy Development Commissioner- cum-Additional District Programme Coordinator.
   (iii) "District Programme Coordinator" means the District Magistrate of the district concerned.
   (iv) "Additional District Programme Coordinator" means the Deputy Development Commissioner of the district concerned;
   (v) "District Programme Officer" means the District Programme Officer (MGNREGA) of the district;
   (vi) "Programme Officer" means the Block Programme Officer/Programme Officer in charge of Block.

(vii) "MIS" means the Management Information System established and operated by the Ministry of Rural Development, Government of India on nrega.nic.in and all information contained therein;

(viii) "Unemployment Allowance" means an allowance paid by workers under section 7 of the Act in the event of employment not having been provided within 15 (fifteen) days of demand for work.

(2) The words and expressions used but undefined in these rules shall have the same meaning as defined in the Act or the Guidelines or Master Circulars issued from time to time by the Central Government or the State Government.

3. Eligibility for Unemployment Allowance-

If under the scheme notified under section 4(i) of the Act employment is not provided to an applicant within fifteen days of receipt of his/her application or from the date of seeking employment specified in the case of advance application, whichever is later, Unemployment Allowance shall be provided to such applicants at the rate specified under sub-Section (i) of Section 5 of the Act and sub-Section (vii) of Section 6 of the Act.

4. Application for Unemployment Allowance-

(i) The information on Unemployment Allowance generated by the system on MIS shall be treated as information and application received in the office of the Programme Officer under these Rules.

(ii) In addition to the information available on MIS, every applicant claiming Unemployment Allowance, within 30 days of the expiry of the date specified for grant of employment, shall submit an application to the Gram Panchayat/Programme Officer claiming Unemployment Allowance.

(iii) If the head of the family or any adult member of the family is unable to apply in writing for Unemployment Allowance, he / She can appear before the Programme officer and put forth his/her views orally, which will be recorded and his/her signature or thumb impression will be obtained.

(iv) Application for Unemployment Allowance will have to be submitted each time employment is not made available.

(v) Acknowledgement slip of the application submitted for demand of employment has to be attached to the application.

(vi) Applicant will have to submit proof of presence i.e. if the applicant was in the Gram Panchayat, if he/she was present on the instructions of the

Programme Officer, if he/she was not provided employment by the workplace in-charge etc. In absence of proof, his/her application will be rejected.

(vii) The applicant shall be eligible to receive a signed and dated acknowledgement of receipt of the application for employment from Mukhiya/Wardmember/Programme Officer/Panchayat Rozgar Sewak in accordance with point 10 of Schedule II of the Act. In case of transgression, action will be taken against the person responsible as per section 25 of the Act.

5. Rate of Unemployment Allowance-

(i) The daily Unemployment Allowance under Mahatma Gandhi NREGA Scheme, will be at a rate one fourth of the wage rate for the first 30 days during the financial year and after 30 days (for the remaining period of the financial year) at the rate of half of the wage rate. The liability of Unemployment Allowance will be only for the number of days for which work demand has been made and the liability of Unemployment Allowance will end from the date of which work has been provided to any member of the family of the applicant. The Unemployment Allowance will be calculated within the limit of the number of days of work demanded and only for the number of days for which work has not been provided.

(ii) Maximum limit of Unemployment Allowance: The wages earned by the household of the applicant and Unemployment Allowance taken together shall not exceed to the wages for one hundred days of work within the financial year for which employment is guaranteed under the Act.

(iii) In case of revision in the rate of Unemployment Allowance in the Act, Unemployment Allowance will be paid by the state government as per the rate so held.

6. Process of approval/rejection of Unemployment Allowance-

(i) The Unemployment Allowance calculated by the MIS system will be payable to the concerned job card holder family. Programme officers will ensure timely action.

(ii) Other matters of Unemployment Allowance such as applications received under the provisions of Rule 4(ii) shall also be decided by the Programme Officer in due course.

(iii) The decision regarding approval / rejection of Unemployment Allowance will be taken by PO within 15 days since its generation in PO login D24

Delay Compensation module of MIS data entry system as Unemployment Allowance / from the date of submission of application for Unemployment Allowance by the applicant and necessarily will be communicated to the applicant along with a copy to DPC, ADPC, DPO and Gram Panchayat. In case order is not passed by the Programme Officer regarding its approval / rejection, it will be considered that the Unemployment Allowance generated by the MIS system is correct and the process of its payment will have to be ensured by Programme Officer in time.

(iv) In case of approval of Unemployment Allowance, it will be mandatory for the Programme Officer/ Gram Panchayat to mention the reason/reasons for not providing employment in each case. It will be the responsibility of the concerned Panchayat Rozgar Sevak and Programme Officer to ensure this.

(v) Rejected applications along with reasons will be displayed on notice board of Gram Panchayat and Block. It will also be the responsibility of the Programme officer to made available the letter to the applicant through Gram Panchayat regarding rejection of his application for Unemployment Allowance along with reasons.

(vi) Unemployment Allowance will also be paid in the same manner as wages is paid under the Act and the Programme Officer shall ensure payment by MIS.

(vii) The Unemployment Allowance is to be paid to the applicant within 15 days from the date of issue of Unemployment Allowance sanction order by the Programme Officer. In case of any delay, the applicant will be entitled to compensation at the rate of 0.05 per cent per day as per the provisions of "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Bihar- Payment of Compensation for Delayed Wage Payment Rules, 2017".

7. Fund of Unemployment Allowance Payment-

After due scrutiny, the Unemployment Allowance will be paid firstly from the amount available in the State Employment Grant Fund, or SEGF in short, and after which it will be reimbursed within 30 days by recovering it from the responsible official / officials or agency / agencies. The Programme Officer will be responsible for its recovery from the concerned official / officials and maintaining the register related to it. The amount collected will be deposited in the account of Bihar Employment Guarantee Fund (SEGF). Every instance of

payment of Unemployment Allowance and its recovery will be reviewed by the District Programme Coordinator.

8. **Unemployment Allowance will not be payable under the following circumstances –**

(i) a) If an applicant or any member of his family does not accept the employment provided to her/his household; or

b) does not report for work within fifteen days of being notified by the Programme officer / Gram Panchayat or the implementing agency: or

c) If an applicant or any member of his family continuously remains absent from work without obtaining permission from the concerned implementing agency, for a period of more than one week; or remains absent for a total period of more than one week in any month.

In all the above mentioned circumstances (a, b and c), shall not be eligible to claim the Unemployment Allowance payable under this Act for a period of three months thereafter but shall be eligible to seek employment under the Scheme at any time.

(ii) For the period in which the applicant or any adult member of his family whose name is registered in the employment card is employed under the scheme.

(iii) The period for which employment is sought comes to an end and no members of the household of the applicant had turned up for employment;

(iv) If the adult members of the household of the applicant have received in total at least 100 days of work/employment within the financial year;

(v) The household of the applicant has earned as much from the wages and Unemployment Allowance taken together as is equal to the wages for one hundred days of work during the financial year.

(vi) The person (applicant) shall ordinarily be available for work for a continuous period of at least 14 days and if a work is related to sanitation facilities, the application for work should be for at least six (6) days of continuous work. If he is unable to give so much time, he will not be eligible for Unemployment Allowance.

(vii) If it is not possible to provide employment in ongoing works on demand of employment on the basis of technical criteria and at least 10 workers

are not available to start new work (this will not be applicable for plantation afforestation work), then Unemployment Allowance will not be payable even in such circumstances.

9. Appellate Authority for Unemployment Allowance -

(i) If an applicant is not satisfied with the action taken on the application submitted for Unemployment Allowance, he may appeal before the appellate authority within 30 (thirty) days from the date of the order.

(ii) An appeal against the order passed by the Programme Officer regarding Unemployment Allowance shall be made by the applicant before the Additional District Programme Coordinator.

(iii) A second appeal against the order passed in the appeal by the Additional District Programme Coordinator will be made before the District Magistrate.

(iv) The appellate authority shall be required to dispose of the appeal within a statutory time limit of 60 (sixty) days from the date of appeal and inform the applicant in writing about the action taken.

10. Monitoring of action taken on Unemployment Allowance -

(i) The process and payment of Unemployment Allowance will be widely publicized at state, district, and block levels. It will also be discussed in the Rozgar Diwas meetings.

(ii) District Programme Coordinator shall hold monthly meetings to review the action taken in respect of Unemployment Allowance claims and reports available on NREGA SOFT and ensure strict implementation of the provisions of the Rules.

(iii) A detailed monthly report will be submitted to the District Magistrate-cum-District Programme Coordinator regarding the applications received by the Programme Officer for payment of Unemployment Allowance and the correct entry of all necessary information on NREGA SOFT will be ensured.

(iv) The Programme Officer shall continuously monitor the Unemployment Allowance Module under PO Login Compensation Module where as Panchayat Rozgar Sevak will monitor the Alerts regarding work allocation against registered demand for work in MIS. PO will ensure further appropriate action in the block level weekly review meeting.

11. Power to make regulations-

The State Government may make regulations for carrying out all or any of the provisions of these Rules.

12. Resolving doubts-

If any doubt arises in respect of any provision of this Rules, the matter shall be referred to the Department of Rural Development, Government of Bihar and its decision shall be final.

By order of The Governor of Bihar

Secretary to the Government

Memo 2950566........ Date.....01/07/2024..

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: Principal Secretary, Finance Department, Bihar, Patna for publication in e-Gazette (in two copies including CDs).

Secretary to the Government

Memo . 2950566...... Date....01/07/2024.....

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: Forwarded to Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, All Departments, Government of Bihar for information only.

Secretary to the Government

Memo ..2950566..... Date.....01/07/2024....

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: To all District Magistrate-cum-District Programme Coordinator / All Deputy Development Commissioner-cum-Additional District Programme Coordinator, Bihar for information and necessary action.

Secretary to the Government

Memo .2950566........ Date-......01/07/2024...

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: Chief Executive Officer, Bihar Rural Development Socity, Biscoman Bhavan, Gandhi Maidan, Patna for information and necessary action.

28/06/24

Secretary to the Government

Memo .2950566........ Date-......01/07/2024...

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India for information only.

28/06/24

Secretary to the Government

Memo .2950566........ Date-......01/07/2024...

ग्रा० वि० 07(नि०)- 01/2021

Copy: IT Manager, Rural Development Department, Bihar, Patna for information and for uploading it on the departmental website without delay.

28/06/24

Secretary to the Government